अधिसूचना दिनांक 24 जून, 2016

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिटट्न मार्केट, भोपाल– 462016

भोपाल, दिनांक 30.05.2016

क्रमांक – 894 / मप्रविनिआ / 2016. विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 की उपधारा (1) सहपठित धारा 91 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (परामर्शी की नियुक्ति) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2009 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 30.01.2009 को प्रकाशित हुए थे, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परामर्शी की नियुक्ति) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2009 में चतुर्थ संशोधन

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :** (i) ये विनियम **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परामर्शी की नियुक्ति) (पुनरीक्षण प्रथम) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2009 {एआरजी6 (I) (iv), वर्ष 2016}"** कहलाएंगे ।

(ii) ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रभावशील होंगे ।

(iii) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा ।

2. उक्त विनियमों में, आयोग के प्रकरणों में नियुक्त किए गए अधिवक्ता को देय व्यावसायिक शुल्क से संबंधित अनुसूची में,–

(1) अनुक्रमांक i में, मद 1 में, उच्च न्यायालयीन प्रकरणों से संबंधित प्रविष्टि के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :–

''अधिवक्ता हेतु 15,000 / – तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हेतु 30,000 / –''

(2) अनुक्रमांक ii तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :–

''ii. प्रत्येक प्रकरण में, विविध व्ययों, जैसे कि वकालतनामा पर मुद्रांक (स्टाम्प), न्यायालयीन शुल्क, मुद्रलेखन (टाइपिंग) आदि हेतु रूपए 1000 / – का भुगतान किया जाएगा।'' ।

आयोग के आदेशानुसार

आयोग सचिव